[28/2/2018]

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रंमाक –837

विभाग से उत्तर देने का दिनांक 20/02/2018

सदस्य श्री मुकेश नायक

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/F 11/107/2015/नियम/चार — भोपाल दिनांक 21 मई, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय :– दिनांक 19–4–99 से 31–3–2006 के मध्य क्रमोन्नति वेतनमान में देय वेतनमान ।

संदर्भ :– म.प्र.शासन, वित्त विभाग का पत्र क्रमांक 79/2324/2012/नियम/ चार दिनांक 10–8–2011

—•—

क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 17 मार्च 1999 द्वारा शासकीय सेवकों के लिये क्रमोन्नति योजना लागू की गई है। परिपत्र के साथ संलग्न सूची में वेतनमान (3050–4590) का प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान (3500–5200) एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान (4000–6000) निर्धारित किया गया है।

2. वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 370/109/97/सी/ चार दिनांक 4–3–97 द्वारा निर्णय लिया जाकर सहायक ग्रेड–2 के लिये वेतनमान रूपये 1150–30–1210–40–1450–50–1800 को संशोधित कर वेतनमान 1200–40– 1440–50–2040 (म0प्र0वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अनुसार 4000–6000) लागू किया गया है।

3. वित्त विभाग के द्वारा सहायक ग्रेड–2 के वेतनमान में संशोधन के फलस्वरूप सहायक ग्रेड–3 की नियुक्ति होने के बाद उसे प्रथम पदोन्नति सहायक ग्रेड–2 (4000–6000) होने पर 24 वर्ष की पूर्ण सेवा की स्थिति में अगला क्रमोन्नत वेतनमान 4000.6000 के स्थान पर 4500–7000 प्राप्त होगा।

4. पैरा 3 में उल्लेखित प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति प्राप्त की गयी है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरूद्ध मुखर्जी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, .

Letter-Rule-4-51